

2017-18

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

All Principals
Govt. Colleges/Non-Govt. Aided Colleges

यादी क्रमांक 2/71-2017 एन0एस0एस0 (2)

दिनांक, पंचकूला

सड़क सुरक्षा के लिये महाविद्यालयों में पोस्टर/निबंध/भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करके जागरूकता लाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको सूचित किया जाता है कि सड़क सुरक्षा जागरूकता गतिविधियों के तहत Transport Commissioner Haryana, Chandigarh के दिशा-निर्देश अनुसार महाविद्यालयों में पोस्टर/निबंध/भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाये।

महाविद्यालयों में प्रथम/द्वितीय/तृतीय छात्र-छात्रा को इनाम के रूप में दी जाने वाली राशि निम्न होगी।

प्रतियोगिता	पुरस्कार श्रेणी	कॉलेज स्तर पर राशि	जिला स्तर पर राशि
पोस्टर/निबंध/भाषण	प्रथम	2000/-	5000/--
	द्वितीय	1500/-	3000/--
	तृतीय	1000/-	2000/--

यह पुरस्कार राशि Transport Commissioner Haryana, Chandigarh द्वारा दी जायेगी। सभी विजयी प्रतिभागियों को दी जाने वाली पुरस्कृत राशि उनके बैंक अकाउंट में आपके कार्यालय द्वारा जमा करवाई जायेगी और विजयी छात्र/छात्रा को समृति चिन्ह भेंट नहीं किया जायेगा। उनको बैंक प्रमाणपत्र के रूप में सम्मानित किया जायेगा। जिलों से प्राप्त प्रथम/द्वितीय व तृतीय विजयी छात्रों के एकत्रित पोस्टर/निबंध/भाषण इत्यादि परिवहन आयुक्त हरियाणा की सम्पत्ति होगी जोकि सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा मूल रूप से सम्बन्धित दस्तावेज/महाविद्यालय का नाम/छात्र का स्थाई पता, मोबाईल नं0, विजयी छात्र अथवा छात्रा का बैंक अकाउंट नं0, सम्बन्धित बैंक का IFSC नं0, Transport Commissioner Haryana, 30 Bays Building, 2nd Floor, Sec-17B, Chandigarh-160017 (stcharyana@hry.nic.in) को प्रतिमाह भेजे जाये ताकि राज्य स्तर पर प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर सम्बन्धित विजयी छात्र/छात्रा को पुरस्कृत किया जा सके जिसके लिये प्रथम स्थान पर आने वाले छात्र/छात्रा को 25000/- रुपये, द्वितीय छात्र/छात्रा को 20000/- रुपये तृतीय छात्र/छात्रा को 15000/- रुपये तथा सान्त्वना पुरस्कार के रूप में बैंक प्रमाणपत्र राज्य स्तर के कार्यक्रम आयोजन पर दिये जाने का प्रावधान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन विषयों पर प्रतियोगिता करवाने के लिये सम्बन्धित जिलों के RTA Office से आगामी दिशा-निर्देश लें व इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिये stcharyana@hry.nic.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्न: जागरूकता गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की सूची

राज्य सड़क सुरक्षा अधिकारी
कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा

Dr. Manjeet Kaur
Mrs. Jyoti Sethi
03/04/18

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सेक्टर-5, पंचकूला।

224
3/4/18

Principals
All Government/Non-Govt. Aided/Self Finance Colleges of Haryana State

यादि क्रमांक : 2/71-2017 एन0एस0एस0 (2)
दिनांक, पंचकूला 03/4/18.

विषय : **Regarding mandatory use of Helmet and Seat Belt by students of Haryana State.**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 21.03.2018 को Addl. PSCM की अध्यक्षता में हुई Road Safety Programme की Review मीटिंग में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिये Helmet व Seat-Belt अनिवार्य करने हेतु निर्णय लिया गया है और जो विद्यार्थी इन आदेशों की पालना ना करें उसे Campus में दाखिल होने की अनुमति ना दी जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी विद्यार्थियों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का कष्ट करें व अपने संस्थान में उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना करना सुनिश्चित करें।

03/4/2018
राज्य रा0से0या0 अधिकारी
कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा पंचकूला।

पू0 क्रमांक सम

दिनांक पंचकूला

है:-

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती

1. संयुक्त परिवहन आयुक्त, हरियाणा, 30 Bays Building, Second Floor, Sec-17B, Chandigarh.
2. Director, Vision Zero (Road Safety Programme), 2nd Floor, Building MG, 87 Sultanpur Mandi Road, New Manglapuri, Sultanpur, New Delhi-110030.
3. Nodal Officer, Web Portal O/o Director General Higher Education Haryana, Panchkula.


राज्य रा0से0या0 अधिकारी
कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा पंचकूला।




दयानन्द महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र
सूचना

दिनांक 04.04.2018

महाविद्यालय की सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि
Director General Higher Education,
Haryana, Panchkula के आदेशानुसार वाहन लाने वाली
सभी छात्राओं के लिए Helmet & Seat Belt
अनिवार्य है।

बिना Helmet & Seat Belt वाली छात्रा को
दिनांक 05.04.2018 से महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति
नहीं होगी।


Principal
Dayanand Mahila Mahavidyalaya
Kurukshetra (Haryana)


श्रीमती सुधा सेठी
अ. श्रीमती अनु 
अ. श्रीमती मनजीत 
कु० प्रीति

वर्ष २०१८ में महानिदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला के आदेशानुसार दयानन्द महिला महाविद्यालय, ^{कुरुक्षेत्र} में सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। जिसमें संयोजिका श्रीमति सुधा सेठी तथा डॉ अनु चौहान, डॉ मन्जीत एवं डॉ रीजा, ^{कुं प्रीति} सदस्य एवं नर्स गमी। इस परिषद का गठन करने के पश्चात् सर्वप्रथम दिनांक १३.३.२०१८ को पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गयी। जिसमें महाविद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर पोस्टर बनाये। जिनमें स्वार्ति प्रथम, अक्षांश द्वितीय एवं शुशु तृतीय स्थान पर रही। दिनांक ५.५.२०१८ को महाविद्यालय की छात्राओं को सूचना पट्ट के द्वारा सूचित किया गया कि दीपहिमा वाहन का प्रयोग करने वाली छात्राओं को दिनांक ३.५.२०१८ से हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। २४.०३.२०१८ को सड़क सुरक्षा पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम पुरस्कार कुं सुमित्रा बी.ए. द्वितीय वर्ष तथा द्वितीय पुरस्कार सर्वजीत श्री. काम प्रथम वर्ष विजयी रही।

श्रीमति सुधा सेठी (संयोजिका.)
 डॉ अनु
 डॉ मन्जीत
 डॉ रीजा
 कुं प्रीति